



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032021-225997
CG-DL-E-18032021-225997

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1164]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 18, 2021/फाल्गुन 27, 1942

No. 1164]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 18, 2021/PHALGUNA 27, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2021

का.आ. 1256(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची V में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V में, भाग II में, 'पारिश्रमिक' शीर्षक के अंतर्गत:-

(क) धारा I में, प्रथम पैरा में, "प्रबंधकीय व्यक्ति या व्यक्तियों" शब्दों के पश्चात्, "या अन्य निदेशक अथवा निदेशकों" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) धारा II में,--

(i) "प्रबंधकीय व्यक्ति" शब्दों जहां कहीं भी वे आए हैं, के पश्चात्, "या अन्य निदेशक" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) कॉलम (क) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(क):

(1)	(2)	(3)	
क्र.सं.	जहाँ प्रभावी पूँजी (रुपए में) है	प्रबंधकीय व्यक्ति के मामले में वार्षिक रूप से भुगतान योग्य पारिश्रमिक की सीमा (रुपये में) से अधिक नहीं होगी	अन्य निदेशक के मामले में वार्षिक रूप से भुगतान योग्य पारिश्रमिक की सीमा (रुपये में) से अधिक नहीं होगी
(i)	ऋणात्मक या 5 करोड़ से कम	60 लाख	12 लाख
(ii)	5 करोड़ और अधिक परन्तु 100 करोड़ से कम	84 लाख	17 लाख
(iii)	100 करोड़ और अधिक परन्तु 250 करोड़ से कम	120 लाख	24 लाख
(iv)	250 करोड़ और अधिक	120 लाख प्लस 250 करोड़ रुपये से अधिक की प्रभावी पूँजी का 0.01%	24 लाख प्लस 250 करोड़ रुपये से अधिक की प्रभावी पूँजी का 0.01%

(ग) धारा III में,-

(i) “प्रबंधकीय व्यक्ति” शब्दों, परंतुक के खंड (i) में छोड़कर जहाँ कहीं भी वे आते हैं, के पश्चात्, “या अन्य निदेशक” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) “प्रबंधकीय व्यक्तियों” शब्दों जहाँ कहीं भी वे आते हैं, के पश्चात् “या अन्य निदेशकों” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा

(iii) अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण.- धारा I, धारा II और धारा III के प्रयोजनार्थ, “या अन्य निदेशक” शब्द से अभिप्राय गैर-कार्यकारी निदेशक या स्वतंत्र निदेशक से होगा।”

[फा. सं. 1/5/2013-सीएल-V]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V को 01 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त किया गया तथा भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 12.09.2018 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4822(अ) द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2021

S.O. 1256(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 467 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following amendments to Schedule V of the said Act, namely:—

2. In Schedule V of the Companies Act, 2013, in PART II, under the heading “REMUNERATION”.-

(a) in Section I, in the first para, after the words “managerial person or persons”, the words “or other director or directors” shall be inserted;

(b) in Section II,--

(i) after the words “managerial person”, wherever occurred, the words “or other director” shall be inserted;

(ii) for Table (A):, the following shall be substituted, namely.-

“(A):

	(1)	(2)	(3)
Sl.No.	Where the effective capital (in rupees) is	Limit of yearly remuneration payable shall not exceed (in Rupees) in case of a managerial person	Limit of yearly remuneration payable shall not exceed (in rupees) in case of other director
(i)	Negative or less than 5 crores.	60 lakhs	12 Lakhs
(ii)	5 crores and above but less than 100 crores.	84 lakhs	17 Lakhs
(iii)	100 crores and above but less than 250 crores.	120 lakhs	24 Lakhs
(iv)	250 crores and above.	120 lakhs plus 0.01% of the effective capital in excess of Rs.250 crores:	24 Lakhs plus 0.01% of the effective capital in excess of Rs.250 crores.”

(c) in Section III, –

- (i) after the words “managerial person”, wherever occurred, except in clause (i) of the proviso, the words “or other director” shall be inserted;
- (ii) after the words “managerial persons”, wherever occurred, the words “or other directors” shall be inserted;
- (iii) following explanation shall be inserted at the end, namely:-

“*Explanation.*– For the purposes of Section I, Section II and Section III, the term “or other director” shall mean a non-executive director or an independent director.”

[F. No. 1/5/2013-CL-V]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note : The Schedule V of the Companies Act, 2013 came into force with effect from the 1st April, 2014 and was last amended *vide* notification number S.O. 4822(E) dated 12.09.2018 published in the Gazette of India.